पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

क्रमांक/पं.रा./आर-2-66/2018/ 13578 भोपाल, दिनांक 12/09/2018

//आदेश//

एतद द्वारा रतलाम जिले के ग्रामों में उनके सम्मुख दर्शाये गये श्रेणी के सामुदायिक भवन का निर्माण, योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद से निर्माण कार्य करने हेतु राशि रूपये 156.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तो के तहत प्रदान की जाती है:- .

क्र	जिला	जनपद	ग्राम पंचायत	ग्राम/स्थान का नाम जहां सामुदायिक भवन बनाया जाना है	श्रेणी	प्रशासकीय स्वीकृति कुल लागत (राशि रूपये लाख में)		
						भवन हेतु	भवन की बाउण्ड्रीवाल	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रतलाम	रतलाम	मून्दडी	धतुरिया	टाईप–1	10.00	2.00	12.00
2	रतलाम	रतलाम	बांगरोद	बांगरोद	टाईप–2	17.00	3.00	20.00
3	रतलाम	रतलाम	बडोदिया	सुराना	टाईप–1	10.00	2.00	12.00
4	रतलाम	पिपलोदा	नोवलेटा	नोवलेटा	टाईप–2	17.00	3.00	20.00
5	रतलाम	पिपलोदा	माननखेड़ा	माननखेड़ा	टाईप–2	17.00	3.00	20.00
6	रतलाम	पिपलोदा	सोहनगढ़	सोहनगढ़	टाईप–2	17.00	3.00	20.00
7	रतलाम	आलोट	शेरपुरखुर्द	शेरपुरखुर्द	टाईप–2	17.00	3.00	20.00
8	रतलाम	आलोट	कलस्या	घापना	टाईप–1	10.00	2.00	12.00
9	रतलाम	जावरा	हाटपिपलिया	हाटपिपलिया	टाईप–2	17.00	3.00	20.00
					योग			156.00

2. शर्ते :-

2.1 निर्माण एजेन्सी ग्राम पंचायत होगी। ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित निर्माण कार्य की रूपये 15.00 लाख की वित्तीय सीमा में शिथिलता प्रदान की जाती है।

2.2 निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल के पत्र क्र. 3773, दि. 14.08.2017 द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डो एवं अवयवों के अनुसार करना होगा। प्रमुख अभियंता के इस पत्र में तकनीकी मापदंड नियत कर दिए जाने से पृथक से तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

2.3 प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ने बाउण्ड्रीवाल की मानक लागत रूपये 3,.550/- प्रति रनिंग मीटर निर्धारित की है जिसमें गेट की लागत शामिल है। बाउण्ड्रीवाल का निर्माण प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निर्धारित तकनीकी अवयवों एवं मापदण्डो के अनुसार करना होगा।

2.4 संभागीय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करेगें।

2.5 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आवश्यक समझे तो शासन के किसी भी विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री अथवा वरिष्ठ स्तर के अभियंता से आवश्यकता अनुसार तकनीकी पर्यवेक्षण एवं मदद की व्यवस्था कर सकते है। इस हेतु प्रति भवन, प्रति निरीक्षण परिश्रमिक तय कर प्रति भवन की स्वीकृत लागत का अधिकतम एक प्रतिशत जिला पंचायत की निधि से व्यय किया जा सकेगा।

2.6 निर्माण का चरणबद्ध मानक मूल्यांकन प्रमुख अभियंता के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.08.2017 अनुसार मान्य होगा।

2.7 स्वीकृत भवन हेतु शासकीय भूमि की उपलब्धता का प्रमाण पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत में दिया जाना होगा।

2.8 स्वीकृति आदेश एवं राशि ग्राम पंचायत को जारी होने के उपरांत सामुदायिक भवन के स्थान में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

2.9 भवन निर्माण जनवरी 2019 तक पूर्ण कराना होगा।

2.10 यदि सामुदायिक भवन किसी अन्य योजना में पूर्व से स्वीकृत हो तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रदाय की जाने वाली राशि पंचायत राज संचालनालय को वापिस की जाए एवं इसकी सूचना संचालनालय को तत्काल दी जावें।

3. निर्माण कार्य कि 50 प्रतिशत राशि संबंधित निर्माण ऐजेंसी को प्रथम किश्त के रूप में संचालनालय द्वारा प्रदाय की जा रही है। द्वितीय किस्त की शेष 50 प्रतिशत राशि, 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर, संबंधित जिला पंचायतों के माध्यम से एकजाई मांग प्रस्ताव प्राप्त होने पर संचालनालय पंचायत राज द्वारा जारी की जायेगी।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(शमीम उद्दीन)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/पं.रा./आर-2-66/2018/ 13579 **भोपाल, दिनाक** 12 **/09/2018**

प्रतिलिपिः-

1- संभागीय आयुक्त उज्जैन संभाग म.प्र की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला रतलाम की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम की ओर पालनार्थ।
4. संयुक्त संचालक (वित्त) पंचायत राज संचालनालय को निर्देशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत योजना क्रमांक 4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरूद्ध अनुदान मद में उपलब्ध राशि से संबंधित निर्माण ऐजेंसी के खाते में अंतरित कर वित्तीय स्वीकृति जारी करें एवं राशि अंतरण की सूचना निर्माण अनुभाग को देवे।
5. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की ओर जियो टैगिग के साथ मानिटरिंग हेतु पालनार्थ।
6. ओएसडी मान. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रतलाम, पिपलोदा, आलोट एवं जावरा की ओर अग्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत आदेश का तत्काल क्रियान्वयन करावे तथा संबंधित ग्राम पंचायत को अवगत करावे।
8. संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत को पालनार्थ।
9. मैनेजर विभागीय वेबसाईट/पंचायिका।

संचालक
पंचायत राज संचालनालय (म.प्र.)